मानव कल्याण सेवा समिति

कराई, डाक0 व तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)

हम मानव कल्याण सेवा समिति के साधारण अधिवेशन के सभी सदस्य जिनके विवरण निचे दिये गये हैं, मानव कल्याण सेवा समिति को निर्धारित चन्दा देते हैं और समिति के उदेश्य एवं नियम/उपनियमों को सभाएं पंजीकरण अधिनियम 2006 के उप–अधिनियम 9 के तहत समिति के उदेश्य एवं नियम/उपनियमों के संशोधन के लिए प्रार्थी हैं :–

क्र0	नाम व पता	वर्ग	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामानन्द शर्मा, गांव व डाक0 चौपाल, ;जिला शिमला (हि.प्र.)	सामान्य	52 वर्ष	विधि स्नातकोतर	वकालत	
2	श्रीमती पुष्पा चौहान पत्नी श्री हेत राम चौहान गांव रेवष्टी डाक0 केदी उप–तह0 नैरवा जिला शिमला (हि. प्र.)	सामान्य	49 वर्ष	दसवीं	कृषि	पुष्पा चौहान
3	श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री जोगिन्द्र शर्मा गांव सतका, डाक0 व तह चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	सामान्य	46 वर्ष	आठवीं	कृषि	कमला शर्मा
4	श्रीमती सावित्री चौहान पत्नी श्री चांद राम चौहान गांव डुंगा डाक0 थंगाड़, उप–तह0 नैरवा जिला शिमला (हि. प्र.)	सामान्य	50 वर्ष	दसवीं	कृषि	Savitri chauhan
5	श्री केशव राम लोदटा पुत्र श्री खज्जू राम लोदटा गांव भोलाला, डाक0 देईया, उप–तह0 नैरवा जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	54 वर्ष	स्नातक	कृषि एवं समाज सेवा	
6	श्री रमला देवी पत्नी श्री दिलमी राम गांव शालानिया डाक0 नैरवा उप–तह नैरवा जिला शिमला (हि.प्र.)	अुनसूचित जाति	41 वर्ष	आठवीं	कृषि	रमला देवी
7	श्री नाथु राम रानटा पुत्र स्व श्री धर्म राम रानटा गांव खारू डा0 देवत, तह0 चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	53 वर्ष	आठवीं	दर्जी	Nathu Ram Ranta
8	श्री कुन्दन सिंह वर्मा, पुत्र श्री धाजु राम, गांव सुन्दराड़ी, डाक0 व तह0 शिलाई जिला सिरमौर (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	27 वर्ष	स्नातक	कृषि / बागवानी	
9	श्री परस राम पुत्र श्री ध्यान चन्द, गांव बसाल, डाक0 चम्बाघाट, जिला सोलन हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	61 वर्ष	दसवीं	सेवानिवृत कर्मचारी	परसराम
10	श्री खजू राम पुत्र स्व0 श्री बीर सिंह ग्राम घाला, डा0 देईया, तह0 चौपाल, जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	72 वर्ष	प्राथमिक	कृषि	खजुराम
11	श्री मान दास पुत्र श्री रेलू राम ग्राम शालन, डा0 हलाऊ तह0 चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	42 वर्ष	स्नातक	कृषि	Man Dass
12	श्री दुलची राम पुत्र स्व0 श्री शकरू राम ग्राम व डाक. हलाऊ तह0 चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	47 वर्ष	दसवीं	नौकरी	Dulchi Ram
13	श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री धरमा राम ग्राम खार डा0 देचत तह0 चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	46 वर्ष	दसवी	नौकरी	
14	श्री किरचू राम स्व0 श्री मोती राम ग्राम कराई डा0 देईया तह0 चौपाल जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	44 वर्ष	प्राथमिक	कृषि	किरचुराम
15	श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामा नन्द शर्मा ग्राम वटेवड़ी डा. दवेत त0 चौपाल जिला शिमला(हि.प्र.)	सामान्य	47 वर्ष	बी.टेक	कृषि	
16	श्री रूप दास पुत्र श्री फिश्कू राम ग्राम बांजड़ डा0 थंगाड़ उप–तह0 नेरवा जिला शिमला (हि.प्र.)	अनुसूचित जाति	32 वर्ष	10+2	कृषि	Roop Dass

पुष्पा चौहान   कमला शर्मा   Savitri chauhan

प्रधान   उप–प्रधान   Manav Kalyan Seva Samiti, Karai, Teh Chopal, Distt. Shimla   कोषाध्यक्ष   सचिव/निदेशक

समीति का ज्ञापन

1. **समिति का नाम :** **समिति का नाम मानव कल्याण सेवा समिति होगा**

2. **समिति का संक्षिप्त नाम :** **समिति का संक्षित नाम "सांई सेवा " (SAI SEWA) होगा।**

3. a) समिति का पुरा पता : समिति का पूरा पता बाबा कुटीर समीप सिविल हॉस्पीटल, चौपाल डाक. व तह. चौपाल जिला शिमला हि.प्र. –171211 होगा

   b) समिति का मुख्यालय : समिति का मुख्यालय चौपाल का उपमण्डलीय मुख्यालय चौपाल, जिला शिमला, हि.प्र. होगा

4. समिति का कार्य क्षेत्र : समिति का कार्य क्षेत्र समूचा हिमाचल प्रदेश होगा।

5. समिति के उदेश्य

1. समिति बिना जाति व लिंग भेद के मानव कल्याण के लिए हर सम्भव कार्य करेगी।

2. समिति निर्धनों, विधवाओं तथा असहाय बच्चों की सहायतार्थ, बाल'बाड़ी, हस्त्कला केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेगी जिससे विशेषकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समाज द्वारा परित्यक्ताओं, विधवाओं, निर्धनों तथा बच्चों का जीवन स्तर उठाया जा सके इसके अतिरिक्त समिति ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में दस व इससे अधिक बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान का संचालन करेगी जहां दस किलोमीटर दूरी के अन्दर उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न हो। इस कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों को लाभाविन्त किया जायेगा।

3. समिति ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, जन स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन के लिए शिविरों का आयोजन, दुर्गम क्षेत्रों में शिव शक्ति नामक टंकण, कम्प्यूटर, सिलाई, कटाई, ड्रेस मेकिंग, बुनाई, शॉल बनाना, कढ़ाई , चरखा , ए.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्र, तथा हर प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धी व अन्य शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण एवं प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार,युवक एवं युवतियां सुगमता एवं कम व्यय में उपरोक्त रोजगार प्रदायी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

4. समिति समाज के कमजोर वर्गो को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने में अपना पूरा सहयोग देगी।

5. समिति सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास व गरीबोत्थान कार्य में हर सम्भव योगदान देगी।

6. समिति देश की एकता, अखण्डता वा साक्षरता को बढावा देगी।

पुष्पा चौहान कन्डा Santi chauhan

Manav Kalyan Seva Samiti * Karai, Teh. Chopal, Distt. Shimla *

प्रधान उप–प्रधान कोषाध्यक्ष सचिव / निदेशक

7. समिति जाति – पाति, नशीली वस्तुओं का सेवन, बाल – विवाह, दहेज प्रथा आदि कुरूँतियों को समाप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहेगी। महिलाओं के कल्याण के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

8. समिति क्षेत्रीय सांस्कृति एवं सांस्कृति गतिविधियों को बढावा देगी।

9. समिति उन सभी कार्यो को करेगी जो नागरिकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायक होगें। तथा उन सभी कार्यों को करेगी जो समिति के उद्वेश्य की पूर्ति के लिए सहायक व आवश्यक समझे जाएगें।

10. समिति शारीरिक व मानसिक रूप से अपगं / विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ व पुर्नवास हेतू कार्य करेंगी तथा ऐसी योजनाओं का संचालन करेंगी जिसके अर्न्तगत अपंग व्यक्तियों को आजीविका उपार्जन हेतू शिक्षण, प्रशिक्षण एवं आय वर्धन साधनों की सुविधा उपलब्ध हो सके। समिति हर तरह कि विकलांगता / अपंगता से ग्रसित / पीड़ित बच्चों के लिए विद्यालय व विकलांग आश्रमों की स्थापना भी करेगी तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो व अनुसूचित जाति के निर्धन बच्चों के लिए छात्रावास का आयोजन / संचालन भी करेगी।

11. समिति वृद्वों की सहायतार्थ, विकासार्थ, कल्याणार्थ एवं उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का संचालन करेगी तथा इन उदेश्यों की प्राप्ति के लिए समिति रीजनल रिसोर्स सैन्टर, वृद्व आश्रम, दिन का देखभाल केन्द्र, **Dementia Day Care Centre** आदि कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

12. समिति ऐसे क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य सहायतार्थ मोबाईल डिस्पेंसरी का आयोजन करेगी जिन क्षेत्रों से समाज के गरीब वर्ग व अनुसूचित जाति के लोग सुगमता से स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं और न ही औषधियों को व्यय भार सहन कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हर एक पंचायत मुख्यालय में स्वास्थ्य जांच व उपचार शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

13. समिति अल्पसंख्यकों के विकास एवं सहायतार्थ भी कार्य करेगी तथा रोजगार प्रदायी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

14. समिति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सभी अनुभागों एवं स्वायत संगठनों के सभी कार्यक्रमों को स्थाई ग्रामीण विकास के उदेश्य से ग्रामीण स्तर तक पहुंचायेगी तथा अनुसंधानिक (Research) कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगी।

15. समिति पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसके हेतु जागृति के प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करेगी। समिति गिरते भू–जल स्तर को ऊपर लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा व बर्फ जल संग्रहण हेतू तालाबों, बावड़ियों व कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतू जल की उपलब्धता के कार्यक्रम करेगी। इसके अतिरिक्त समिति जैविक खेती व जैविक खाद को भी बढ़ावा देगी।

16. समिति हिमाचल प्रदेश के हर जिले के पिछड़े व दुर्गम क्षेत्रों में गुजर–बसर करने वाले निर्धन एवं सीमान्त कृषकों के कल्याण व स्थाई विकास के लिए विभिन्न प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं के संचालन के साथ स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और यथासम्भव समिति यह कार्य बतौर नोडल ऐजैंसी करेगी।

प्रधान उप–प्रधान कोषाध्यक्ष सचिव / निदेशक

17. समिति समाज में शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करेगी तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का आयोजन करेगी जिससे समाज के सभी पात्र लोगों को समान रू॰ से लाभ मिल सके।

18. समिति ग्रमीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं, सहकारी सभाओं, महिला मण्डलों, नव युवक मण्डलों व स्वयं सहायता समूहों के गठन, संगठन एवं नेटवर्किंग के क्षेत्र में कार्य करेगी व उन्हें सामाजिक कल्याण व विकास के लिए परामर्श का कार्य भी करेगी, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, सूक्षम ऋण योजनाए, आयवर्धक साधन, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा बाल व महिला कल्याण व विकास क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

19. समिति समाज के विकास व कल्याण के लिए युवा वर्ग को प्रोत्साहन व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा समाज के पुर्ननिर्माण / पुनरोत्थान के क्षेत्र में सहयोग करेगी।

20. समिति समाज के कल्याण व विकास के लिए वैज्ञानिक विचारधारा/ वैज्ञानिक विधि/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से हर क्षेत्र में लोगों को ग्रामीण स्तर तक लाभान्वित कराने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण व स्थायी विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा, समिति वह कदम उठायेगी।

22. समिति विभिन्न माध्यमों को अपनाकर समाज मे कानून, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि विषय में जागरूकता प्रसार के लिए कार्य करेगी।

23. समिति महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों व कार्यकर्ता के लिए आयवर्धक साधनों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने व महिला मण्डलों व महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतू भवन का निर्माण करेगी तथा उसके उचित रख–रखाव के लिए भी कार्य करेगी।

24. समिति जनसंख्या नियन्त्रण, लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और एड्स कन्ट्रोल के लिए भी कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त समिति प्रदेश के सभी स्वास्थ्य सुविधओं से वंचित क्षेत्रों में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, क्षय रोग, केन्सर जैसे जानलेवा रोगों के नियन्त्रण एवं बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग करेगी और विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन करेगी।

25. समिति रक्तदान शिविरों व आंखों के उपचार व ऑपरेशन शिविरों का अयोजन करेगी, जिसमे समाज के सभी निर्धन व वंचित वर्ग लाभान्वित हो सकेंगे।

26. समिति शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए उन सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का आयोजन करेगी जिससे ग्रामीण स्तर के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

27. समिति पुरातन संस्कृति धरोहरों को संवारने व संजोने की दिशा में कार्य करने व पुरातन धरोहरों को सूचीबद्ध करने का कार्य भी करेंगी।

पुष्पा चौहान | कमला शर्मा | Savitri chauhan |
प्रधान | उप–प्रधान | कोषाध्यक्ष | सचिव / निदेशक

Manav Kalyan Sewa Samiti, Karol Teh ... Shimla

28. समिति पर्यावरण, वन विस्तार व **All over ecological development** को बढ़ावा देगी।

29. समिति ग्रामीण कामगरों व दस्कारों (Rural Artisan) को सूचीबद्ध करने, वांछित प्रशिक्षण प्रदान करने एवं घरेलू स्तर के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

30. समिति समाज के सभी शिक्षित व बेरोज़गार युवकों व युवतियों को रोज़गार प्रदायी प्रशिक्षण प्रदान करने के उदेश्य से प्रदेश के सभी ज़िलों में सभी तरह के रोज़गार प्रदायी प्रशिक्षणों का आयोजन करेगी।

31. समिति हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में ग्रामीण स्तर पर किसानों को पुष्प उत्पादन एवं विपणन, औषधीय पौधों के उत्पादन, संरक्षण, एकत्रीकरण, प्राथमिक स्तर पर विधायन, संरक्षण व परिक्षण व लघु स्तर पर औषधिय पौधों से औषधीयों का निर्माण वैध व गुणी (आयुर्वेद/जड़ी-बुटियों के जानकार) के सहयोग से लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने एवं जटिल रोगों से उन्हें निज़ात दिलाने के उदेश्य से करेंगी।

32. समिति ऐसे आयुनिक रोज़गार प्रदायी शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी जिससे शिक्षित बेरोज़गार युवक एवं युवतियों को रोज़गार के साधन उपलब्ध हो सकें।

33. समिति महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, SC/ST/OBC, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों के प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करेगी ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार की नवीनतम कल्याणकारी व विकासात्मक नितियों, पर्यावरण सुरक्षा के नियमों तथा क्षेत्र के विकास में महिलाओं व पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

34. समिति उपभोक्ता जागरूक शिविरों का आयोजन पंचायत, विकास खण्ड, ज़िला एवं प्रदेश स्तर पर करेगी ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान हो। इस कार्य की पूर्ति के लिए समिति पंचायत स्तर पर तथा विकास खण्ड व ज़िला स्तर पर ऐसे केन्द्रों का संचालन करेगी जहां पर वे सुगमता से सम्पर्क कर वांछित जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सके।

समिति उपरोक्त सभी उदेश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी व विदेशी अनुदान प्रदायी संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करेगी व परियोजनाओं के स्थायी प्रभाव के लिए सभी कार्यक्रमों में समाज/समुदाय की प्रखर भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन मुताबिक मूल कार्यवाही के सही व दुरूस्त है जिसे समिति ने अपने साधारण अधिवेशन तिथि 14.11.2007 प्रस्ताव संख्या 5 के अंतर्गत ग्रहण, स्वीकार तथा अनुमोदित किया है।

पुष्पा चौहान — प्रधान | कमला शर्मा — उप- प्रधान | Savitri Chauhan — कोषाध्यक्ष | सचिव/निदेशक

Mahesh Kalyan Seva Samiti, Karai Teh Chopal Distt. Shimla

समिति नियम व उपनियम

1. प्रत्येक महिला/पुरूष जो भी हिमाचल प्रदेश का निवासी हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका/चुकी हो समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता/ सकती है यदि वह पागल या दिवालिया तथा किसी न्यायालय से संगीन अपराध में दण्डित न हुआ/हई हो।

2. यह कि समिति के सदस्य प्रवेश के समय मु0 101 रू. प्रवेश शुल्क और तत्पश्चात 500 रू. वार्षिक शुल्क अदा करेंगे। उपरोक्त राशि सदस्यों को यकमुश्त प्रवेश के समय करनी होगी और वार्षिक शुल्क मु0 500 रू0 प्रतिवर्ष वितिय वर्ष के आरम्भ में तीन मास के भीतर जमा करनी होगी।

3. जो सदस्य समय पर या लिखित रूप से चेतन करने पर भ तीन मास के भीतर वार्षिक शुल्क अदा नहीं करेगा उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसा सदस्य यदि तीसरे मास के अन्त में या चौथे मास के प्रारम्भिक सप्ताह में 10 रू0 दण्ड सहित कुल बकाया शुल्क जमाकर देता है तो कार्यकारिणी को हक होगा कि उसकी सदस्यता बहाल करे। परन्तु ऐसी दशा में उसे प्रवेश शुलक 101 रू. फिर अदा करना होगा। जो सदस्य समिति के नियमों के विरूद्ध कार्य करेंगे और समिति के कार्य में रूची नहीं लेंगे उनकी सदस्यता साधारण अधिवेशन द्वारा 2/3 बहुत से समाप्त कर दी जायेगी परन्तु ऐसे सदस्यों को कथित आरोप का जवाब / स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा।

4. समिति के सदस्यों को बुलाकर तथा मिलकर समिति की साधारण सभा का गठन किया जायेगा। जो सदस्य तीन मास तक वार्षिक शुल्क जमा नहीं करेगा उसे समिति की सभा में भाग लेने का हक नहीं होगा। समिति का पूरा कोरम कुल सदस्यों का 51 प्रतिशत माना जायेगा। बराबर मतो की दशा में प्रधान को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति मे प्रधान पर अधिक जिम्मेवारी होगी की सही पक्ष को ही बहुमत दिलाए ताकि समिति को कठिनाई पेश न आये।

5. समिति की वार्षिक साधारण बैठक होगी जिसमे कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत से किया जायेगा। जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी। समिति के निम्न पदाधिकारी होंगे :– 1. प्रधान 2. उप–प्रधान 3. सचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. एक से पांच तक कार्यकारिणी के सदस्य।

6. कार्यकारिणी समिति का कार्य चलाने के लिए उतरदायी होगी तथा उन सभी अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करेगी जो उसे समिति ने साधारण अधिवेशन द्वारा या सभायें पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के प्रावधानों में वर्णित होगी तथा जो धारा हिमाचल सरकार द्वारा लागु सभाएं पंजीकरण अधिनियम 2006 में वर्णित होगी।

7. कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य वैतनिक पद तब तक ग्रहण नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसे मामले में साधारण अधिवेशन में स्वीकृति नही मिल पाती। यदि साधारण अधिवेशन सर्व सम्मति से यह निर्णय करे कि अमुक व्यक्ति को जो कार्यकारिणी का सदस्य भी है को अमुक कार्यभार वैतनिक तौर पर दिया जाए तो वह सदस्य वैतनिक कार्यभार सम्भाल सकेगा और हर तरह का लेन–देन समिति के राकेड़ व बही खातों में सही रूप से हो जाना चाहिए तथा कार्यकारिणी के पदाधिकारी का प्रभाव वह सदस्य किसी भी निजी लाभ के लिए किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकेगा।

8. यदि मृत्य, त्याग पत्र या किसी अन्य कारण से कार्यकारिणी का कोई पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यकारिणी के शेष सदस्यों को अधिकार होगा कि वे साधारण सदस्यों में से किसी एक सदस्यो को मनोनयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष अवधि के लिए करें।

प्रधान उप–प्रधान कोषाध्यक्ष सचिव/निदेशक

9. किसी भी कार्यकारिणी सदस्यों को ऐस मामले में मत देने का अधिका नहीं होगा जिसमें वह स्वयं संलिप्त होगा।

10. कार्यकारिणी व साधारण सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार व अस्वीकार करना कार्यकारिणी के अधिकार के अधीन होगा।

11. कार्यकारिणी को अधिकार होगा कि वह उन सभी कार्यो को करे जिससे समिति का विकास होगा।

12. साधारणतया कार्यकारिणी को निम्न अधिकार होंगे।
क. समिति की आय–व्यय का लेखा–जोखा करना तथा समिति का बजट तैयार करना व उसे समिति के साधारण अधिवेशन के सामने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
ख. दान शुल्क ऋण आदि प्राप्त करना।
ग. प्रधान, उप–प्रधान सचिव को विशेष अधिकार प्राप्त करना करवाना तथा देना।
घ. समिति के धन को समिति की उन्नति हेतू खर्च करना।

13. कार्यकारिणी की तीन मास में एक बैठक अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकानुसार कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। कोरम 1/2 का माना जायेगा। कुल सदस्यों का 1/2 भाग हाजिर न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाएगी और अगले 10 दिनों तक भीतर बैठक बुलाई जा सकती है। यदि पुनः बुलाई गई बैठक में भी पूरा कोरम नहीं होगा तो एक घंटे तक इन्तजार करना होगा यदि फिर भी कोरम पूरा नहीं होता है तो उपस्थित सदस्यों का ही कोरम माना जाएगा परन्तु वही प्रस्ताव पारित किए जायेंगे जो पूर्व बैठक मे शामिल किए गए हों या स्थगित बैठकों के अण्डे में शामिल किए गए हों

14. समिति की वर्ष में एक बार साधारण बैठक अवश्य होगी विशेष परिस्थियों में इससे पहले भी बैठक बुलाई जा सकेगी। यदि एक घंटे में कोरम पूरा नहीं होगा तो ऐसी बैठक को स्थगित किया जाएगी। यदि इसमें भी एक घंटे तक कोरम पूरा नहीं होगा तो उपस्थित सदस्यों को बैठक का कोरम माना जाएगा। परन्तु वही प्रस्ताव इसमें पारित किए जा सकेगें जो स्थगित बैठक में या पूर्व बैठक के अजण्डे में शामिल किए गए थे ।
ख. समिति के 15 सदस्य प्रधान अथवा कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों की मांग पर समिति की साधारण बैठक बुलाई जा सकेगी इसके लिये लिखिए आवेदन समिति के कार्यालय में सचिव को प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्यकारिणी एक मास तक समिति की बैठक नहीं बुलाती है तो निवेदन कर्ताओं को अधिकार होगा के वे दो मास के भीतर स्वयं समिति की साधारण बैठक बुला ले। ऐसी बैठक के लिये समिति के साधारण सदस्यों को बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।

15. समिति की वर्ष में एक बार साधारण अधिवेशनों में निम्नलिखित अधिकार होगें।
क. सदस्यों के निष्कासन सम्बन्धी मामलों को निपटाना। ख. कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत से करना। ग. आकेक्षण रिर्पोट को स्वीकार तथा अस्वीकार करना। घ. आकेक्षण की नियुक्ति करना
ड. उन सभी विषयों पर विचार करना जो समिति की कार्यकारिणी द्वारा साधारण सभा के समक्ष रख गयें हो।

16. साधारणतया साधारण सभा को 1/2 बहुमत से समिति के नियमों तथा उपनियमों को संशोधन करना या वृद्वि आदि करने का अधिकार प्राप्त हागा।

17. समिति का आकेक्षण द्वारा वर्ष में एक वार किया जाएगा।

पुष्पा ... कमला शर्मा Savitri Chauhan

Manav Kalyan Seva Samiti Karai, Teh Chopal, Distt. Shimla

प्रधान उप–प्रधान कोषाध्यक्ष सचिव/निदेशक

18. क. समिति के साधारण अधिवेंशनों तथा कार्यकारिणी की बैठको की अध्यक्षता करेगें। साधारणतय प्रधान समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उतरदायी होगा। बराबर मतों की दशा में प्रधान को एक अधिक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
ख. प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। प्रधान तथा उप–प्रधान दोनो की अनुपस्थिति में सदस्यों में से ही सभापति का चुनाव किया जा सके।
ग. सचिव समिति के सभी कारोबार की देख – भाल करेगा तथा प्रधान की अनुमति से समिति की कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक बुलाएगा की बैठक बुलाएगा। वह समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही रजिस्ठर में अकित करेगा तथा प्रस्तावित विषयों पर कार्यवाही रूप देगा और कार्यकारिणी के समक्ष रखना होगा। तथा प्रधान की अनुमति से सरकार से अनुदान हेतू निवेदन करेगा।
घ. कोषाधिकारी कार्यकारिणी के आदेशानुसार कार्य करेगा वह पच्चीस सौ रूपय तक नकदी राशी अपने पास रख सकेगा इसके ऊपर की राशि ऐसे बैंक में जमा रखेगा जिसे समिति की कार्यकारिणी ने स्वीकृत किया हो । कि समिति की राशि अमुक बैठक में जमा की जाए। साधारणतया कोषाधिकारी या जिस भी पदाधिकारी को आय–व्यय का लेखा–जोख रखने की जीम्मेवारी सौंपी गई हो वह 2500 से अधिक अपने पास नकद राशि नहीं रख सकेगा। एक सप्ताह के भीतर भुगतान किये जाने वाले मदों की राशि पर यह नियम लागू नहीं होगा। समिति की होने वाली आय प्राप्त करेगा और रसीद जारी करेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह अधिकार सचिव को भी दिया जा सकता है ताकि समिति का कार्य **सुचारू** रूप से चले।

19. समिति की आय निम्नलिखित साधनों से होगी :–
क. सदस्यों से प्रवेश शुल्क।
ख. सदस्यों से वार्षिक शुल्क।
ग. सरकारी, अर्ध–सरकारी, गैर सरकारी व विदेशी अनुदान प्रदायी संस्थानों व विभागों से अनुदान व ऋण राशि प्राप्त करके।
घ. चन्दा इक्ट्ठा करके।
ड. समिति की धनराशि किसी बैंक या डाकघर में जमा रहेगा जिसमें जमा राशि पर ब्याज की प्राप्ति से आमदनी होगी और समिति की जमा धनराशि बैंक या डाकघर से कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही निकाली जा सकेगी। कोई भी सदस्य समिति की राशि नहीं निकाल सकेगा।

20. समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से समिति को भंग करने का निर्णय लिया जाएगा तथा समिति को भी भंग करने हेतु सभायें पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 व 14 का अनुपालन किया जाएगा।

21. क. ऐसे कार्यकारिणी सदस्य/साधारण सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी जो समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेगा और पूछे जाने पर उसका कोई उचित कारण नहीं बता पाएगा। यह नियम कार्यकारिणी के सदस्य तथा साधारण सदस्य सभी पर लागू होगा।
ख. इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य पागल, दिवालिया अथवा किसी न्यायालय से संगीन अपराध में दण्डित हो जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

22. समिति का लाभ समिति के सदस्यों मे नहीं बांटा जायेगा अपितु उसे समिति की उन्नति हेतू खर्च किया जाएगा।

23. यदि समिति उचित समझे तो स्थानीय ग्राम पंचायत को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्राम पंचायत पंच को सह विकल्प सदस्य के रूप में समिति की कार्यकारिणी में शामिल कर सकती है। परन्तु उस सदस्य को मत देने का अधिकार नही होगा उसकी गिनती कोरम की पूर्ति में की जा सकेगी व समिति के सचिव/नामित निर्देशक समिति के अवैतनिक स्थाई सचिव/ निर्देशक होंगे।

प्रधान उप–प्रधान Manav Kalyan Seva Samiti Karai, Teh. Chopal, Distt. Shimla कोषाध्यक्ष सचिव/निर्देशक

24. समिति के वे सदस्य आजीवन सदस्य माने जाएंगे जो संस्था मे प्रवेश के समय उपरोक्त शुल्क के ईलावा यकमुश्त 11,000 रू. संस्था को चन्दा के रूप में जमा करेंगे।

25. पंजीकरण के समय जिन सदस्यो ने समिति का गठन किया है वे समिति के संस्थापक सदस्य रहेंगे व कार्यकारिणी में 2 तिहाई उन्हीं सदस्यों में से कार्यालय पालक चुने जाएंगे।

26. समिति के सचिव स्थाई रूप से सचिव का कार्य करेंगे और वे समिति की प्रबन्धक कार्यकारिणी के नामित निदेशक होंगे।

27. समिति की साधारण सभा वरिष्ठ संस्थापक संस्था को अथवा किसी वरिष्ठ समाज सेवक को संस्था का चीफ पैट्रन नियुक्त कर सकेगी जो कि प्रबन्ध कार्यकारिणी का सदस्य भी होगा।

28. संस्थाक के प्रबन्धक कार्यकारिणी के इलावा प्रयोजना के कार्यक्रमों को गति देने के लिए संस्था के चीफ पेट्रन की अध्यक्षता में एक स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें 3 सदस्य होंगे और उनका चुनाव व मनोनयन समिति की आम सभा करेगी। यह कमेटी परियोजनाओं के कार्यान्यवन करने व वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगी।

29. समिति की आम सभा की संतुष्टि पर पहले से निर्वाचित प्रबन्धक कार्यकारिणी को अगले तीन वर्षो के लिए पुनः भी निर्वाचित किया जा सकेगा

30. की साधारण सभा एक संयुक्त सचिव की नियुक्ति करेगी जो समिति का नामित संयुक्त निदेशक होगा और निर्देशक की अनुपस्थिति में समिति की स्टेंडिंग कमेटी सचिव/निर्देशक के सभी परियोजना संचालन के अधिकार संयुक्त सचिव/ संयुक्त निदेशक को देगी तथा संयुक्त सचिव/ संयुक्त निर्देशक से सभी कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने की अपेक्षा की जाएगी।

31. समिति के सचिव/निर्देशक को परियोजना विशेष में बतौर परियोजना समन्वयक, Principal Investigator व Co-Princial Investigator भी किया जायेगा और उस परियोजना विशेष में वितीय प्रावधानों के अनुसार उन्हें मानदेय भता/ वेतन व यात्रा भता भी दिया जायेगा।

32. यदि संस्था के कार्यकारिणी सदस्य संस्था के या संस्था द्वारा संचालित परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र से बाहर जाते हैं तो उन्हें यात्रा भता भी दिया जा सकेगा।

पुष्पा ... कमला ... Savitri Chauhan

प्रधान | उप–प्रधान | कोषाध्यक्ष | सचिव/निदेशक

Manav Kalyan Seva Samiti Karai Teh Chopal, Distt Shimla

Amendments registered on this 3rd day of January Two thousand eight (3-1-2008) under H.P. Societies Registration Act, 2006.

3-1-2008

Registrar,
Cooperative Societies H. P.
Shimla-9